**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 659**

**17 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए**

 **सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत श्रमिकों की स्थिति**

**659.श्री रिपुन बोरा:**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अंतर्गत कार्यरत लाखों अस्थायी देहाड़ी श्रमिकों के जीवन बसर करने के स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें आवश्यक न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बीआरओ के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों, जो अनुबंध पर हैं, को 1 अप्रैल, 2017 में मजदूरी नहीं मिल रही है और उन्हें बकाया राशि का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य चिकित्सकीय लाभ भी प्राप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या महिला श्रमिकों सहित सभी नैमित्तिक श्रमिकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने और उन्हें मजदूरी देने तथा अन्य लाभों सहित उनके लिए छुट्टी का प्रावधान करने की योजना क्या है?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क), (ख) और (ग): जी, नहीं ।

बीआरओ द्वारा अस्थायी दिहाड़ी श्रमिकों(सीपीएल) को मुहैया कराई गई सुविधाएं निम्नतम हैं:-

1. समूह 'ग' एवं 'घ' की भर्ती में वरीयता ।
2. आवास हेतु वोल्टर ।
3. 8000 फुट से अधिक ऊंचाई पर काम करने वाले सीपीएल हेतु तापन सुविधाएं ।
4. निवास स्थान से कार्यस्थल तक निःशुल्क वाहन ।
5. सीपीएल के बच्चों के लिए बालवाड़ी ।
6. सरकारी दरों पर राशन जारी करना ।
7. श्रमिकों को रविवार के अलावा तीन राष्ट्रीय अवकाश भी सवेतन अवकाश के रूप में दिए जाते हैं ।

सीपीएल मजदूरी का निर्धारण मुख्य अभियंता द्वारा क्षेत्रीय श्रमायुक्त के साथ परामर्श से किया जाता है और ऐसी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है । मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है ।

विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितलाभ निम्नानुसार हैं:-

1. अनुग्रही हितलाभ
2. कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (ईजीए) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति
3. सीमा सड़क विशेष राहत निधि (बीआरएसआरएफ) की ओर से वित्तीय सहायता ।
4. गैर-उत्पादकता बोनस
5. प्रश्न नहीं उठता ।

\*\*\*